



कार्यालय-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

G20

भारत सरकार

पत्रांक- 43

/12-1 देहरादून : दिनांक: 04 जुलाई, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),  
भारत सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:- जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत थला-ग्याड़ी-भीताकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.325 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

(Online Proposal No. FP/UK/ROAD/9401/2015).

संदर्भ :-भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय, कार्यालय देहरादून के कार्यालय पत्रांक सं0 8वीं/यू0सी0पी0/06/168/2016/एफ0सी0/336 दिनांक 09.06.2023।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयोंकित प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं की सूचना चाही गयी है। भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या-3321/12-1(2) दिनांक 20-06-2024 (प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है:-

N	आपत्ति	निराकरण
1	Justification for providing connectivity to the villages already connected.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि मोटर मार्ग के निर्माण से कुल ग्राम/तोक गिलाकर 11 ग्राम लाभान्वित होते हैं। 5 ग्राम अन्य मोटर मार्गों से वर्तमान में जुड़ चुके हैं, जबकि 3 ग्राम/ तोक मोटर मार्ग से जुड़ने शेष हैं। मोटर मार्ग के निर्माण होने से अल्मोड़ा जिला से पौड़ी जिले के ग्रामीणों से यातायात आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी।
2	Details of the villages already connected and the villages yet to be connected	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि मोटर मार्ग के निर्माण होने से वर्तमान में ग्राम ओखलिया (2) रिवाली वल्ली (3) रिवाली पल्ली (4) मयाल वाखल तोक मुरगड़ा (5) गेठिया जुड़ा है तथा (1) जोगिना तल्ला (2) गढ़कोट तल्ला (3) दूंगा तल्ला के ग्राम के अन्य तोक जुड़ने शेष हैं।
3	Revision of the KML file with marking	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि के0एम0एल0 फाईल में सभी लाभान्वित होने वाले ग्रामों के पोलीगन बनाकर के0एम0एल0 फाईल ऑनलाईन उपलोड कर दी गयी है।

अतः अनुरोध है कि विषयोंकित प्रकरण वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 (यथासंशोधित, 2023) के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न:-यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक,  
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या- 43 / FP/UK/ROAD/9401/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 3321/12-1(2) दिनांक 20-06-2024 के क्रम में।
- प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

(आर0के0 मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक,  
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon\_north@rediffmail.com, (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 3321 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 20/06/2024.

86

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :-

जनपद- अल्मोड़ा के अन्तर्गत थला- भ्याड़ी-भीताकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.325  
है० वन भूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं०  
FP/UK/ROAD/9401/2015.

सन्दर्भ :-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर  
केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र सं० 08 बी/यू०सी०पी०/०६/२०१६/एफ०सी०/३३५  
दिनांक 09.06.2023।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय  
वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 5909/12-1 (2) दिनांक 10.06.2024 द्वारा सूचित  
किया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न- यथोपरि।

कार्यालय

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी  
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड  
देहरादून

पंजी० सं०.....  
पत्रावली.....  
दिनांक.....

भवदीय

(डॉ० विमल भार्गव)  
वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

सां.अ०/प्रभारी अल्मोड़ा  
आ.का.नेर,

पुस्तक सं/नो०  
28624

OIC

5909/12-1(2) 2024

कार्यालय

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष 05962.230065, फ़ैक्स: 05962.232182 ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com  
पत्रांक 5909 / 12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 10.06.2024

सेवा में,

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,  
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय -

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत थला-भ्याड़ी-भीताकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.325 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या- FP/UK/ROAD/9401/2015)

संदर्भ -  
महोदय,

भारत सरकार की पत्र सं०-8बी०/यू०सी०पी/०६/२०१६/एफ०सी०/३३५ दिनांक-०९.०६.२०२३।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव में लगाई गई ०३ बिन्दुओं पर आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर प्रस्तावक विभाग द्वारा इस कार्यालय को निम्नवत प्रेषित की गयी है-

क्र०सं०	आपत्ति	निराकरण
1	Justification for providing connectivity to the villages already connected.	मोटर मार्ग के निर्माण से कुल ग्राम/तोक मिलाकर 11 ग्राम लाभान्वित होते हैं। 5 ग्राम अन्य मोटर मार्गों से वर्तमान में जुड़ चुके हैं, जबकि 3 ग्राम/तोक मोटर मार्ग से जुड़ने रोष है। मोटर मार्ग के निर्माण होने से अल्मोड़ा जिला से पौड़ी जिले के ग्रामीणों को यातायात आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी।
2	Details of the villages already connected and the villages yet to be connected.	मोटर मार्ग के निर्माण होने से वर्तमान में ग्राम ओखलिया (2) रिवाली वल्ली (3) रिवाली पल्ली (4) मयाल बाखल तोक मुरगड़ा (5) गेठिया जुड़ा है तथा (1) जोगिना तल्ला (2) गढकोट तल्ला (3) दूंगा तल्ला के ग्राम के अन्य तोक जुड़ने रोष है।
3	Revision of the KML file with marking of the proposed villages.	के०एम०एल० फाईल में सभी लाभान्वित होने वाले ग्रामों के पोलीगन बनाकर के०एम०एल० फाईल ऑन लाईन अपलोड कर दी गयी है।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,  
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

पत्रांक 5909/12-1(2) उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,  
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।